## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –11/2025

अनवान

रामलाल राव पुत्र देवराज राव, जाति चारण, उम्र 40 वर्ष, निवासी गुर्जर बस्ती, ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,

– प्रतिवादी/विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार।

**निर्णय** दिनांक 11.11.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी ग्राम मौजा जावराखुर्द, पटवार हल्का बाड़ौलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 151, खसरा संख्या 154, कुल किता 01, कुल रकबा 0.7000 हैक्टर लगानी 0.7000 पैसे जो खाते में मुझ प्रार्थी के सम्पूर्ण हिस्सा खाते दर्ज रिकॉर्ड है जो कि उक्त कृषि आराजी पर मैं प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी संख्या 154 पर आने जाने का रास्ता ग्राम जावराखुर्द की मूल सड़क आराजी संख्या 162 गै0मु0 सड़क से होकर आराजी संख्या 161 जो भी बिलानाम सरकार के दर्ज रिकॉर्ड है से होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 154 पर आता है जिस पर गाड़ी गड़ार बनी हुई है तथा रास्ता तरमीम नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतु न्यायालय श्रीमान् से पेश करना आवश्यक हुआ है। खसरा संख्या 161 में जो गाड़ी गड़ार बनी हुई है जिसका उपयोग प्रार्थी कदीमी समय से करता चला आ रहा है, उक्त रास्ता कदीमी समय से ही बना हुआ है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से आस–पड़ोस के लोग आये दिन परेशान करते रहते है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम करने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है तथा 24 फीट चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता है इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी राशि जमा कराने के लिए भी तैयार है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम जावराखुर्द की आराजी संख्या 154 में आने–जाने हेतु खसरा संख्या 161 बिलानाम सरकारी भूमि में 24 फीट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। प्रकरण रास्ता कायमी का होने से तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया की आराजी संख्या 154 रकबा 0.70है0 भूमि में रास्ते हेतु मौका निरीक्षण बाबत मुताबिक पूर्व सूचना हमराह प0ह0 मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर प्रार्थी–अप्रार्थीगणों व उपस्थित मौतबिरानों के समक्ष मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम जावदाखुर्द प0ह0 बाडोलिया के खाता संख्या 151 जमाबंदी सम्वत 2076–79 आराजी संख्या 154 रकबा 0.70है0 भूमि रामलाल राव पुत्र देवराज राव हिस्सा पूर्ण जाति चारण निवासी गुर्जर बस्ती झालरबावडी तहसील रावतभाटा सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपने आराजी संख्या 154 में आने–जाने हेतु आराजी संख्या 161 किस्म [illegible]रहा है। मौके पर गाड़ी–गडार रास्ता बना हुआ है परन्तु प्रार्थी के आने–जाने के लिए [illegible]र्डेड रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी के आराजी संख्या 154 में आने–जाने के लिए अन्य कोई [illegible] रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कुआं/टयूबवेल न[illegible] है एवं कोई [illegible]लय स्थगन नहीं है। [illegible]बिक मौका एवं सलंग्न नक्शें अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता खस[illegible] संख्या 161 लम्बाई [illegible]टर (दिशा पश्चिम) होकर भूमि होकर कुल 118X5=590 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 635370/– रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा 63.53 रू प्रति वर्गमीटर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 590 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर अनुसार वैल्यू 590X63.35=37376.50/– रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है। उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड अनुसार बिलानाम होकर राजस्थान सरकार के खाते में अंकित है। यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नही है, इसलिए आये दिन कुछ व्यक्ति रास्ते को बंद कर देते है, जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, प्रार्थी उक्त रास्ते हेतु उपयोग मे आने वाली भूमि की राशि राजकोष में जमा करा नियमानुसार रास्ता चाहता है। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार/राजकोष को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार इस रास्ते में आराजी संख्या 161 (590 वर्ग मी.) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम जावराखुर्द की आराजी संख्या 161 के पश्चिम दिशा पर से रकबा 590 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 635370/ रू. प्रति है0 से 590X63.35=37376.50/– शुल्क रूपये की दुगुनी राशि 37377X2= 74754 रू कीमत बनती है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

**–:आदेश:–**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम जावराखुर्द पटवार हल्का बाडोलिया की आराजी संख्या 154 में आने जाने हेतु बिलानाम राजस्थान सरकार आराजी संख्या 161 रकबा 0.50 है0 में से पश्चिम दिशा में 590 वर्गमीटर भूमि रास्ता दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 590 वर्गमीटर भूमि़ डीएलसी रेट 635370/रू. अनुसार कीमत 37377 रू की दुगुनी दर से राशि 74754/रू. (अक्षरे रूपये चौहतर हजार सात सौ चौवहन रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतु बिलानाम रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है, विपक्षी राजस्थान सरकार की बिलानाम की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 590 वर्गमीटर (राशि 74754 रू) का भुगतान विपक्षी/राजकोष में जमा किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:47:45 IST
Reason: SelfAttested